

कार्यवाही विवरण

मेसर्स कुसुम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम—धमनी, तहसील—पथरिया, जिला—मुंगेली स्थित Sponge Iron--2,45,000 TPA, Mild Steel Billet-1,79,550 TPA and/or Rerolled Steel Products through Hot Charging-1,31,970, TPA, Rerolled Steel Products through Reheating Furnace-42,194 TPA, Ferro Alloys-75000 TPA or Pig Iron- 1,50,000 TPA, Captive Power Plant (WHRB-16 MW & FBC-40 MW), Fly Ash Bricks Plant-1,50,000 TPA, Grain based Bio Ethanol (100 KLD) or 35,000 KLA, Animal Feed Grade Protein DDG-28,000 MT Per Annum and Bio-CNG-3,000 MT Per Annum CO2 (Carbon Di-oxide)-17,500 MT Per Annum, Co-Generation Based Power Plant-3 MW के पर्यावरणीय बाबत दिनांक 07.10.2021, समय 11:00 बजे, स्थान—प्राथमिक शाला भवन, खम्हारडीह, तहसील—पथरिया, जिला—मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई. ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स कुसुम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम—धमनी, तहसील—पथरिया, जिला—मुंगेली स्थित Sponge Iron--2,45,000 TPA, Mild Steel Billet-1,79,550 TPA and/or Rerolled Steel Products through Hot Charging-1,31,970, TPA, Rerolled Steel Products through Reheating Furnace-42,194 TPA, Ferro Alloys-75000 TPA or Pig Iron- 1,50,000 TPA, Captive Power Plant (WHRB-16 MW & FBC-40 MW), Fly Ash Bricks Plant-1,50,000 TPA, Grain based Bio Ethanol (100 KLD) or 35,000 KLA, Animal Feed Grade Protein DDG-28,000 MT Per Annum and Bio-CNG-3,000 MT Per Annum CO2 (Carbon Di-oxide)-17,500 MT Per Annum, Co-Generation Based Power Plant-3 MW के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 04.09.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली मुख्य संस्करण में दिनांक 04.09.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोक सुनवाई दिनांक 07.10.2021, समय 11:00 बजे, स्थान—प्राथमिक शाला भवन, खम्हारडीह, ग्राम पंचायत—रामबोड़, तहसील—पथरिया, जिला—मुंगेली में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 04.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला—मुंगेली, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पथरिया, जिला—मुंगेली, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुंगेली, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत खम्हारडीह, रामबोड़, पथरिया, धमनी, तहसील—पथरिया, जिला—मुंगेली (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू—तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर

(महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 07.10.2021, समय 11:05 बजे, स्थान-प्राथमिक शाला भवन, खम्हारडीह, ग्राम पंचायत-रामबोर्ड, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री तीर्थराज अग्रवाल, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुंगेली द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री वेद प्रकाश शर्मा, एनाकॉन लेबोरेटरीज, नागपुर के द्वारा मेसर्स कुसुम स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-धमनी, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुंगेली द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका-टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. **श्री साधूराम यादव, ग्राम-खम्हारडीह, पंचायत रामबोर्ड, पंच :-** हम ला कोई आपत्ति नहीं है। हमर गांव के आदमी मन ला कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। हमर गांव के पढे लिखे लईका हे, ते मन ला यहां मजदूरी मिलना चाहिए। हमारे गांव व कम से कम कुछ सहायता करे बर महामाया हमर देवी हे, थोडा बहुत सहायता करे, ताकि हमर महामाया भवन अधूरा हे ओला पूरा करे जाये।

2. **श्री हेमकेश्वर कौशिक, ग्राम-अण्डा :-** प्रशिक्षण फिल्ड मा विगत 30 साल तक सर्विस दिये हव। जेका मोला अनुभव है, आई बी वेल्डर रहेव, फैक्ट्री एरिया के जो मैनेजमेंट होही ओला मालूम होवी या आईबीएम वेल्डर किसको बोलते है किसी को मालूम है, हाई प्रेशर वेल्डर। क्या यहां पर जितने भी बैठे है उनको मालूम है। फैक्ट्री के मालिक कौन है। आपको मालूम है। आप दास गुप्ता जी है आप ही का फैक्ट्री है। आज का है लेकिन आप अण्डा गांव में सूचना नहीं दिये हो वासुदेव के हो। लेकिन यहां पे फैक्ट्री नहीं है। ये जो बन रहा है आपका नहीं है। ग्राम अण्डा में सूचना नहीं दिये हो। आपका तो सूचना गया था आपके लिये भी आये थे पॉवर प्लांट के लिए भी आये थे। लेकिन यहां सूचना नहीं दिया है। कृपया यहां पर बाहर से जितने बैठे हुये अदर स्टेट के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि छत्तीसगढ़ को हल्का में मत लेना। मै 30 साल से आईबीवी वेल्डर से लेकर फीटर हर वर्क का काम किया हूँ। पॉवर प्लांट, रिफायनरी, आपका सीमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारा में काम किया हूँ विदेशो में भी काम किया हूँ। तो हम जाते है काम में ऐसा समझ बैठते है कि इनको कुछ नहीं आता। आपको बता देता हूँ हम को छत्तीसगढ़ के आदमी को ही देखकर काम सिखाते थे। कम से कम 400 सौ लोगों को फीटर वगैरह वेल्डर बनाया होगा। अभी मै वर्तमान में 8 साल हो गया मेरे को लार्सन. से रिजाईन देकर आया हूँ। पिछले बार भी आया था वासुदेव यहां से। सर मेरे को भी जानते है। अपने यहां काम में लडके को भी रखे है। इतना इज्जत किया है तारीफ करूंगा इसका। और पॉवर प्लांट का है तो मै अभी सूचना मिला है। नया प्रोजेक्ट डाल रहा है वो गांव अण्डा में सूचना नहीं दिया है, सरपंच को। मेरे को जैसे ही सूचना मिला मै दौड कर आया। वैसे लगभग-लगभग कहीं भी सूचना नहीं दिया है पेण्ड्री में भी सूचना नहीं दिया है। कैलाश सिंह ठाकुर को भी मंडल अध्यक्ष को सूचना नहीं मिला है। वह भी बता रहा है सूचना नहीं मिला है। तो कृपया करके आप लोग जैसा भी फैक्ट्री डाल रहे हो अच्छी बात है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। प्रदूषण न हो। रोड़ है हम लोग सरकार को बार-बार बोल रहे है। आने जाने में फैक्ट्री की सारी गाड़ी आ जा रही है। एक बार लगने से स्लीप हो जा रहा है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। फैक्ट्री वाला बोलता है हमारा क्या लेना देना सरकार जाने। आपका तो भैया फैक्ट्री बन रहा है वहां पे, फैक्ट्री का मालिक तो आप है भर-भर कोयला ले के आ रहे है। आप भी तो बोल सकते हो सरकार को। आप भी तो बना सकते हो ना रोड़ को। रहा बात डस्ट का प्रॉबलम होता है। पिछले साल बाजपेई जी डस्ट फेकना चालू कर दिया था पॉवर प्लांट का। डस्ट नहीं फेका जाता है। ग्राम पंचायत में जितना भी कीचड़ है स्कूल में है, महामाया है, जहां गंदगी है वहां डस्ट डालो। सुनने का आता है ये पी एफ नहीं दे रहा है। दलाली सिस्टम चल रहा है फैक्ट्री में लोगों को कम पेमेन्ट दे रहे है

और पी एफ नहीं कट रहा है। पता नहीं कैसा अधिकारी है चेक भी नहीं करता है। मैं तो देखता हूँ कि वहां पर निर्धारित मूल्य भी नहीं लिखा है वहां पर जो भी पॉवर प्लांट गया निर्धारित मूल्य नहीं लिखा है। लिखना चाहिए न। हम तो आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं। आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम यहां के आदमी को नौकरी दो, कम से कम। आप जो भी फैक्ट्री खोल रहे हो अच्छी बात है लोगों को रोजगार मिलने के लिए, लेकिन उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी इधर का हवा हमारे गांव अण्डा के तरफ जाता है। कभी नहीं जाता था वो आने से बोलता है तुम लोग क्या नौकरी करोगे। काम सिखाया जाता है यार, 86-87 से फिल्ड में है। दो रुपये पचास पैसा में हेल्फरी किये हैं। कोरबा प्रोजेक्ट में जो चिमनी चल रहा था। उसमें सरदार का पगडी फंसा था चिमनी में हेलीकॉप्टर से रेसक्यू किया था। तब से हूँ इस फिल्ड में क्या चीज नहीं जानता हूँ लेकिन मेरे को किनारे कर देते हैं। मैं जाता हू तो, नौकरी नहीं लेते हैं। खुद जो मैनेजर है उसको भी नहीं मालूम है। क्या है कौन सा है मेन लाईट है कि क्या है। कनवेयर लाईन क्या है मेन लाईन क्या है खुद मालूम नहीं लेकिन उनको नौकरी मिल जाता है। आप क्यों अण्डा, टिकैत पेण्ड्री को क्यों सूचना नहीं दिये हैं। इसका मालिक कौन है, ये बनाये हैं, उसका मालिक कौन है, कहां है मालिक उसका, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। मैं कलाकार हूँ। मैं अभी भी तीस-चालीस हजार में काम कर सकता हूँ। मैं कोई नेतागिरी नहीं करता हूँ। लेकिन आपका गलती है ना ग्राम पंचायत अण्डा को बोलना चाहिए ना टिकैतपेण्ड्री को बोलना चाहिए ना अभी आप तो पास करा लोगे बाद में नौकरी नहीं दोगे। जो करोगे मनमानी करोगे। अभी सुधर जाओ, हम लोग नहीं सुधरे तो आप क्या सुधरोगे। कब तक बेईमानी का खाते रहेंगे। अफरा-तफरी करके मत खाओ। मर जाओंगे बाल बच्चा बीमार पड़ जायेगा। सारे प्रदूषण कोयला हम लोग खा रहे हैं। अण्डा गांव रामबोड अरे कम से कम सही रेट तो दे दो। उनको सही सुरक्षा तो दे दो। साबुन, सोडा का व्यवस्था, मास्क का व्यवस्था, सेफ्टी हेलमेट का व्यवस्था करो। सेफ्टी जूता का व्यवस्था करो। उनको साल में एक बार बोनस दे दो। काम चलाने वाले मत करो ना भाई। हाँ भईयां जो नया कंपनी खोलने जा रहा है। कहां पे खोलेंगे बताईयेगा। मैं भी देख लूँ। भाई साहब मैनेजर महोदय कहां पर खोलेंगे, कहां पर खोलने वाले हैं। हम लोगों को नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। कार्यशाला रखिये। मैनेजर बनाईये, हेल्पर बनाईये, खलासी बनाईये। कोई सीख कर तो नहीं आता घर से। आप लोग फैक्ट्री बना रहे हो। अच्छा बना रहे हो। लेकिन प्रदूषण यहां तो बोल देते हो कम से कम रोड में तो पानी डाल दो। जहां से गाड़ी निकलता है धूल वगैरह उसको तो बंद कर दो। लोगों को सही मार्ग बताओं बेटा,

गिर जाने से पेट लिवर खराब हो जायेगा। उसको तो हफ्ते में गुड दो कम से कम। देता है कि नई फैक्ट्री वाले देना चाहिए कि नहीं। गुड देना चाहिए कि नहीं। डस्ट साफ होने के लिए। उनका हक का साल में बोनस देना चाहिए कि नहीं। कम से कम इधर गरीब को तो दे दो।

3. **श्री कैलाश सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष सरगांव, ग्राम-टिकैतपेण्डी** :- मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लांट लग रहा है। अभी जिसके विषय में बैठे हुये हैं। उस विषय में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है और मैं ग्राम पंचायतों में जानकारी लिया हूँ ग्राम टिकैतपेण्डी के सरपंच से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। जनपद सदस्य से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ जो ये प्लैक्स लगा हुआ है उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। अगर कोई पढ़ सकता है किसान जनता उसको पढ़के बता दे तो बिना विरोध किये, बिना बात किये, मैं इस जन सुनवाई का समर्थन कर दूंगा। जो प्लेश में लिखा है उसको कोई बता दे, तो मैं और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका समर्थन करना चाहिए। गांव में अधिकतर लोग अंग्रेजी नहीं जानते बोर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहां क्या चीज बनने वाला है हमें कुछ नहीं पता है तो आम जनता को क्या पता होगा और जब तक पता नहीं होगा। तब तक उसका विरोध करे या सपोर्ट करें। जब हमें पता होगा और हमारे क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे क्षेत्र में नुकसान करेगा तो हानि पहुंचाएंगा तो हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते न सपोर्ट करेंगे, न उसका विरोध करेंगे। हम एक लाइन से कहते हैं कि इस जन सुनवाई को कैसल किया जाये और फिर सभी को सूचना देकर सभी ग्राम पंचायतों में सूचना देकर, सभी जनप्रतिनिधियों को सूचना देकर मुनादी कराकर इस जन सुनवाई को फिर से प्रारंभ किया जाये। अगर हमारे क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेगा तो जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम यह नहीं कह सकते फायदेमंद है या नुकसानदायक है। अंग्रेजी में लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसको लिखने वाले को सोचना चाहिए कि गांव में कौन कितने लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध करने के लिए बहुत सारा है। सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक न सपोर्ट करेंगे आज तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

4. **श्री ओम प्रकाश कौशले, ग्राम पंचायत धमनी सरपंच** :—जो हमारे गांव में कुसुम स्मेंल्टर्स का छोटा सा कारखाना लग रहा है तो हम अपने गांव वालों की सहमती से बैठक किये हैं उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि हमारे गांव में कारखाना खुलता है छोटे छोटे बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा, और कोरोना काल में जितने आदमी बाहर गये हैं स्टेशन में देखे हैं आदमी मर रहा है, वहां मर रहा है। तो हमारा भाई भटके मत ऐसा करके हम गांव वाले सब सहमती करके बोले भैया कि आप लगा सकते हैं इसके लिए भरपूर गांव भर का समर्थन है।
5. **श्री एजाज अली, ग्राम-धमनी** :— प्लांट खुलने वाला है हम लोग गांव में बैठक कर चुके हैं बैठक में निर्णय हुआ कि ठीक है भैया कई लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको बाहर में परेशानियां होती हैं और छोटे-छोटे बाल बच्चे को लेके चले जाते हैं इसके लिए हम लोग गांव में बैठक किये हैं कि जो प्लांट खुल रहा है उसके लिए हम हमारे गांव के लोगों को काम में रखेंगे ऐसा बोले हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूँ।
6. **श्री नरसिंह साहू, ग्राम-धमनी, वार्ड नं. 02, पंच** :— ये प्लांट के लिए मैं समर्थन करता हूँ और इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।
7. **श्री मोहन लाल, ग्राम-धमनी** :— इतने बड़े प्रोजेक्ट शासन दे रहा है प्लस किसान के माध्यम से इसमें जो भी है आप लोग सब समझदार हैं अच्छे से करेंगे तो अच्छे से मिलेगा। जो भी किसान है उसको कफद रोजीरोटी मिलेगा तथा फायदा मिलेगा। तभी कुछ करेंगे। ऐसा कुछ है तो इस माध्यम से आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा से कर लो। जो शासन का निर्देश है उसमें कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि शासन हमारा है शासन हम है। शासन के निर्देश के अनुसार करेंगे और जो भी है बढ़िया से करेंगे अच्छे से करेंगे।
8. **श्री राजकुमार वर्मा, ग्राम पंचायत-धमनी** :— जो भी हमारे ग्राम पंचायत में प्लांट खुल रहा है। उसका मैं समर्थन करता हूँ। हमने देखा है कि हमारे पंचायत या गांव के पंचायत में 2 -4 और प्लांट खुले हुये हैं हमारे गांव के नागरिक और गरीब वहां जा के काम करेंगे तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो मैं चाहता हूँ कि यह प्लांट खुले हमारे गांव और आसपास गांव के लोगों को, नागरिकों को रोजगार मिले और मैं इस प्लांट का समर्थन करता हूँ।
9. **श्री कृपाराम, ग्राम-धमनी** :— जो प्लांट खुलने जा रहा है। अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें रही बात किनारे-किनारे खेती करते हैं खेती में क्षति नहीं होना चाहिए। अगर क्षति होता है। तो हम खुरापाती में उतर जायेंगे। अगर क्षति नहीं होगा तो हर भाई बहनो को लाभ होगा

तो हमारा समर्थन है अगर इसमें गरीब किसानों का क्षति होता है तो बिल्कुल हमारा समर्थन नहीं है अगर इसमें क्षति होगा तो प्लांट उखाड़ना पड़ जायेगा। हम खुरापाती में उतर जायेंगे।

10. **श्री शशिकांत टण्डन, ग्राम-धमनी** :- जो हमारे ग्राम पंचायत धमनी में प्लांट खुल रहा है। उसका मैं समर्थन करता हूँ अगर किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करें।
11. **श्री आसिफ मोहम्मद, ग्राम-धमनी** :- ये खुशी की बात है कि हमारे ग्राम में प्लांट खुल रहा है मैं इसका समर्थन में हूँ क्योंकि हमारे जैसे बेरोजगार को रोजगार मिलेगा।
12. **श्री सईद उल्ला खान, ग्राम-धमनी** :- हमारे ग्राम पंचायत धमनी में प्लांट खुल रहा है इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ।
13. **श्री बाहोरिक राम वर्मा, ग्राम-रामबोड** :- सईद उल्ला भाई जो बोला है वो बात ठीक है जहां तहा। बाकी सिर्फ उतना ही बोला है वो तो मैं उसका सहयोग करता हूँ। उसमें नुकसान क्या चीज होगा। उसके बारे में कुछ नहीं बोला। बाद में, भविष्य में, समय आयेगा तो चलो रामबोड, धमनी, पेण्ड्री वाले इसका विरोध करेंगे। ऐसा बोल के दो शब्द नहीं जाना चाहिए। जो बोलना है पूरा स्पष्ट बोलो क्या फायदा मिलेगा, क्या हमारा नुकसान होगा। हम किसान आदमी है जितने एकड़ में प्लांट बना रहा है वो अच्छी बात है बगल में अपना जमीन है उसमें हमारा पूरा नुकसान है। जो घास जमीन है उसमें ज्यादा घास जमीन है। उसमें बन जायेगा। उसके बारे में बोलना चाहिए। दो शब्द बोल के चले जाय अच्छी बात है प्लांट खुल रहा, मेरे को वो बात नहीं है, खुलना चाहिए। बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। यहां तक के बोलता है कि बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। बाकि यहां छत्तीसगढ़ के बाहर के आदमियों को रोजगार दिया जाता है यहां छत्तीसगढ़ के आदमी को लात मार कर भगाया जाता है प्लांट वाले। इसके बारे में सोचना चाहिए दो मिनट। यहां वही है, लात मार के, भगाया जाता है गेट में घुसने नहीं देता, किसान हूँ किसान का जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। आप जायेंगे तो आपको जाने नहीं देगा। ये सब चीज को दो मिनट सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, आओ साईन कर दो, और दो शब्द बोल दो। बोले-सुने थोड़ा से अभी समझना चाहिए, अभी भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में क्या होगा।

14. **श्री संतोष, ग्राम—खम्हारडीह** :— मेरे गांव में शिक्षित आदमी है। जितना पॉवर प्लांट खुला है, स्टील प्लांट खुला है, सीमेंट प्लांट खुला है जितना शिक्षित है, यहां खम्हारडीह में कोई नौकरी में नहीं है। कौन काम कर रहा है यहां, किसी को नौकरी नहीं, बारवी कॉलेज करें हैं, किस लिये पढाई कराया गया है। हमको नहीं, हम तो गधा के बराबर है। हम लोग डवकी लईका को पालते है। हमारे लईका मन तो, एसहना मत रहा, उसके लिए नौकरी चाहिए। पढे लिखे बारहवी, कॉलेज करे है ये राधव माधव पॉवर प्लांट किस लिये खुला है। हमारे गांव में कलेक्टर लोग आए हुये है। हम लोग जिंदगी भर कमाबो। जितना कमाबो, उतना कमाबो, हमर लईका मन के भविष्य बने। कंपनी इतना बड़े-बड़े खुले के क्या मतलब है, खुले हैं, हमर परिवार लईका मन के नाम से खुले हे।
15. **श्री प्रवीण टंडन, ग्राम—धमनी** :—अभी सरपंच भैया बताया है कि यहां पे दो-तीन गांव में ऐसा है, प्लांट खुला हुआ है, बाकि किसी को ऑफ़जेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं धमनी में तो चलो प्लांट खुला है। धागा फैक्ट्री खुला है। वहां तो आसपास के गांव वाले भी जा रहे है काम पे। चलो बड़े-बड़े पढे, लिखे रहते नौकरी मिलता। छोटा सा पढाई करके क्या करेगा बताओ। क्या कर सकते है, अपने ही गांव के आसपास काम ढूंढेंगे ना। यहां पे जाओ खम्हारडीह में खुला है प्लांट वहां भी तो आसपास के लोग ही काम में जाते है ना। धमनी पंचायत में प्लांट खुलेगा। तो सभी को रोजगार दिया जायेगा। ऐसा नहीं है बाहर के वर्कर लोग आयेंगे, तो काम दिया जायेगा। ऐसा नहीं है। इसकी गारंटी हम लोग देंगे ना। क्यू नहीं खुलेगा भाई इसके लिए समर्थन करुंगा ही। हम लोग इतना पढे लिखे है, तो कही बाहर सरकारी जॉब मिल तो नहीं जायेगा।
16. **श्री परदेशी वर्मा, ग्राम—धमनी** :— यह प्लांट खुलत है, एमा पढे लिखे लईका मन ला आसपास के रोजगार मिलही। एही आशा से समर्थन करथव। प्लांट खुलय।
17. **श्री राजकमल, ग्राम—धमनी, पंच** :—मोर गांव में फैक्ट्री खुलत हे लईका मन ला रोजगार मिलही, एखर से हमवला कोई आपत्ति नहीं है।
18. **श्री नरेन्द्र शर्मा, जिला कार्यसमिति सदस्य छ0ग0** :— अभी जो कार्यक्रम हो रहा है। उसकी जानकारी किसानो को नहीं है, जो अपना नियम है 10 पंचायतो को कम से कम 10 कि.मी. तक के किसानो को मालूम होना चाहिए। आम नागरिको को मालूम होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं हुई मुनादी नहीं हुई है। इसको फिर से किया जाये, और इसका हानि-लाभ की बात बाद में करेंगे। इसलिए मै विरोध करता हूँ।

19. **श्री रामेश्वर मेहर, ग्राम-रामबोड, सरपंच** :-जो प्लांट खुलत के धमनी मा किसी प्रकार के आपत्ति नहीं है। पिछले भी नहीं रहिस रियल पॉवर प्लांट खुलिस हमारे यहां बाकी प्लांट खुलिस हे कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी आपत्ति नहीं है हमारे गांव वाले को खम्हारडीह, रामबोर्ड ला कोई आपत्ति नहीं है।
20. **श्री लोचन शर्मा, ग्राम-रामबोड** :-जन सुनवाई होत वे हममन आज तक नहीं जाने मुनादी होय हे, कि नहीं होय, मुनादी होना चाहिए ना। गांव के आदमी ला जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई जानकारी तो, है ही नहीं। यहां जन सुनवाई होवत वे। कुछ नहीं। मैं तो ऐखर विरोध करबे करीहव। अभी तीन-तीन ठन प्लांट लगे हे। इतना जबरदस्त प्रदूषण है कि गांव के आदमी जात को ओखर लिये कोई काम नहीं है, ऐखर पास जाबे जी-हजूरी करबे तो कल आना, परसो आना, बोलते। तीन-तीन ठन प्लांट खुले है रामबोड मा। जबरदस्त प्रदूषण है ये जीवन रहेगा तो तभी काम कर सकेगा ना। मर गया तो। प्रदूषण है इतना । हाईकोट खुलिस तो वहां से भगाईस राधव माधव ला। यहां आके प्लांट खोलिस। क्या रामबोड आदमी मन का जीव नहीं है क्या। जीवन है तो जान है। हम ऐखर विरोध करबो। प्लांट कब खुलही जब मुनादी करही। सब जानकारी हमला देही। हमर कहे काम करही तो।
21. **श्री धमनी उपसरपंच** :- मोर गांव में प्लांट लगत थे मोर लईका मन काम करही। बाहर के लईका मन करत है, कि नई करत थे। मोला कोई आपत्ति नहीं। राधा माधव लगिस, सब चीज बनिस, कोई ला आपत्ति, नई रहिस। मोर गांव में प्लांट लगत थे, तो मोर लईका मन ला काम करही तो क्या आपत्ति है कोइला। ये मैं चाहत हव कि मोर लईका मन काम करही और कखरो जमीन मा, शासकीय जमीन मा, नई लगत थे। ओखर खुद के प्लांट खरीदे हे, तेन जमीन मा, लगे थे। शासकीय प्लांट तो नहीं हे। खुद के जमीन मा लगत थे। मोर जमीन मा काला क्या आपत्ति है, खुद के जमीन है, गांव के आदमी मन ला मोर हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और जो आपत्ति है समझा ओला। इतना पब्लिक के सामने नई बोलना चाहथव, कुछ तो कारण है। आपत्ति करे के। बोलना चाहू तो बोल देहू। आपत्ति के कारण भी बता देहू। मोर गांव मा बनत थे ओखर खुद के जमीन हे। तोला आपत्ति करके मतलब क्या हे। शासकीय जमीन ला मगतिस हमर। हम तो खुद उपसरपंच है गांव के लेकिन हम नई चाहन।
22. **श्री अजय सिंह ध्रुव, रामबोड** :- जो आज कार्यक्रम रखा गया है ये कार्यक्रम की जानकारी न तो हमको है न हमारे गांव को। ये अभी तकरीबन 10 बजे हमको पता चला कि वो भी व्यक्तिगत। तो ये कार्यक्रम निरस्त कर दूसरा कार्यक्रम रखा जाये।

गांव वालों को ये सही जानकारी हो। जो अपने पक्ष में रख सके। पक्ष विपक्ष में रखने का अधिकार सबको है।

23. श्री राजेश, ग्राम—धमनी :—जो हमारे गांव में प्लांट लग रहा है वो बहुत खुशी की बात है। हम जैसे नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं। जो बेरोजगार हैं। उसको रोजगार मिले। एक बात और कहना चाहूंगा। जो प्लांट लग रहा है एथेनाईल ये बनेगा Ethanol (100 KLD) or 35,000 KLA, Animal Feed Grade Protein DDG-28,000 MT Per Annum ये जो बनेगा आसपास के खेत हैं, खलिहान हैं। इसमें नुकसान होगा या नहीं होगा। ये सब किसान लोग नहीं जानते। बाकी ये प्लांट खुल रहा है। ये हमारे लिए बहुत मान्य की बात है इसका विरोध नहीं करता हूँ।

24. श्री किसनलाल बंजारे, ग्राम—बिल्हा :—लेकिन मोला अतका बड़े दुख के बात है। जब भी छत्तीसगढ़ में कोई भी समस्या होथे। मातृशक्ति मन साथ देथे। लेकिन ऐसे ये नई होये कि हमन ला पूछ के कोई भी फैक्ट्री पूछ के बनाथे। सबसे बड़े गलत मानथव। ये माता बहनी मन आये हे इमन के समर्थन जरूर करना है और हमर बच्चा मन भी आये हे, एखर हमन विरोध करबो जब तक हमर पूछे बिना और बिना जानकारी के हो थे हमर कोती दुख के बात है। ये बात ला सब ला समझना जरूरी है। एमा सबके बोले के अधिकार हे और जब कभी भी ऐसी समस्या आहि हममन माता बहनी मन बैठे हे। वायु प्रदूषण होथे। जल प्रदूषण होथे। एखर जवाबदारी कौन रही। भाई एखर समस्या के समाधान पहली करना होथे। एसना भी कोई कारखाना खोलना है। ओखर पहली कारखाना खोलने वाले बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े उद्योगपति हे बच्चा मन ला पढाये बर काबर स्कूल नई खोले। हमर बच्चा मन ला पढ़े लिखे हे इमन बर स्कूल कॉलेज खोले बढ़िया पढाई की व्यवस्था करें। आज कई ठोव समस्या है ओखर समस्या के समाधान करना चाहिए। उद्योगपति लाएबर हमन छत्तीसगढ़ में एसनो करबो क्या। जमीन हमर, हर चीज हमर। लेकिन हमर सुनवाई नई होवथे। ये सब चीज समस्या बर माता-बहनी मन जब भी होही ये आंदोलन जारी रही। बिना सोचे समझे कही भी दस्तखत मत करिहो। आप मन से गुजारिस करथव।

25. श्री मनोज तिवारी, ग्राम—रामबोड :—मोर एकठन कहना है। उद्योग लगाना अच्छा बात है। लेकिन उद्योग के साथ-साथ आसपास के ग्रामवासी की जिम्मेदारी उठाना उद्योग वाले की जिम्मेदारी है। अगर उद्योग से बीमारी होवत थे पानी में प्रदूषण होवत थे, पर्यावरण प्रदूषण होवत थे। एखर जिम्मेदारी कौन लेही। प्लांट तो 2000 लगा देही। लेकिन आम जनता के जान के बड़े, उद्योग हे क्या, पढाई बर ठीक से स्कूल नहीं है ओखर जिम्मेदारी कौन उठाही। पीच रोड नहीं है उसका जिम्मेदारी

कौन उठाही। कितना सारा स्थिति गंभीर है। कई ठोन एक्सीडेंट होय हे और एक्सीडेंट होवत थे। मवेशी खडे हे, ट्रक खडे हे, 50 इन आदमी आवत-जावत हे। जाय बर रास्ता नहीं है। रोजगार नहीं मिल पाथे आदमी मन ला। रोजगार के बहाना से 100 आदमी चाहिए। 30 आदमी यहां के 70 आदमी बाहर के ठीक से रोजी नहीं मिल पावत थे। ऐसी कई प्रकार के फायदा व रामबोड में पानी की इतनी समस्या है। पानी इतना मोटा है। पीने से पचास प्रकार की कई बीमारी होवत थे इसकी जिम्मेदारी कौन लेही। लेही उद्योग क्षेत्र वाला मन एक ठीक रोड नहीं बन पावत थे। रोड की जिम्मेदारी कौन लेही। उद्योग लगाना है उद्योग लगाना है आदमी ही नहीं मर जायही। तो उद्योग कहां से लगाही। कौन करही उद्योग में काम। होही जिम्मेदार व्यक्ति। हमर सिद्धांत है उद्योग लगही उद्योग से हमला कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमर ग्रामवासी ग्राममन ला पूर्ण रूप से फायदा मिलना चाहिए। अगर कोई बीमारी होही तो उद्योग वाले मन जिम्मेदारी ले। करोडो रुपये कमा कर चल देही। यहां गरीब के जान चल देही। गरीब के घर में कमाने वाला नहीं है। कौन देही पैसा है कोई जिम्मेदार व्यक्ति, लिख के दे, लिख के दे कोई परेशानी नही होही तो। जिम्मेदार वाला व्यक्ति खडे होये तब उद्योग लगही। रोड में गड़डा है 02 ट्रक मुरुम डालने वाला नहीं है, मर जाही आदमी जिम्मेदार लेने वाला है। हम मन कोई प्रकार के उद्योग वाला मन के जिम्मेदारी नहीं लेन। रामबोड में ग्राम पंचायत में ये पता नहीं चले है कि यहां जन सुनवाई है हमन दूसर के मुंह से सुनकर आव हन। एक-एक गांव के आसपास मन ला जन सुनवाई का पता होना चाहिए। जन सुनवाई हे, अपन मत रखो। मैं ग्रामवासीयों को बार-बार गुजारिश करथव कि अपना हक, अपना परिस्थिति बर लडे सीखो और समझो।

26. **श्री राजेश यादव, ग्राम-खम्हारडीह** :—खम्हारडीह मा शिविर लगाये हे भले धमनी के आदमी मन ला मालूम हे कि यहां शिविर लगे हे, कहिके रामबोड के आदमी मन ला मालूम नहीं रहिस है कि आज यहां शिविर हे। खम्हारडीह, रामबोड के आदमी मन ला मालूम नहीं हे कि आज शिविर हे। ये क्या चीज के शिविर हे। मै कहत हव जैसे प्लांट लगे मोला कोई आपत्ति नहीं हे बाकी। जतका समस्या हवय ओ चीज ला सुनय समझय। गांव के एतना आदमी मन आये है कोई सोचे हे कुछ अपन बात ला बोले, कोई बोलत हवय बस एक दूसर के मुंह ला देखत हवय। रोड इतना छोटे हो गये है। गाडी जा थे, तो हमला साईड देना पडथे। गाडी हमला साईड देथे। गाडी ला हमन साईड देथन। तीन प्लांट हवय और ये चौथईया प्लांट लगत हे। अब चारो प्लांट से गाडी चलही। अभी मनियारी से रामबोड तक 03-04 किमी. सिंगल रोड है डबल रोड नहीं है। महोदयजी मन ला करहू मगर

यही तक बात रहिई। खम्हारडीह, रामबोड, धमनी तीनों गांव ला गोद-नामा ले लो। जितका भी समस्या हे, प्लांटो वाले ला बोल दो। पंचायत में जाना नहीं हे। हमर बात सुनये। महिला मन ला भी काम देवय। लडका मन ला भी काम देवय। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे चार तीन ये ही सुनत हव। ये चीज ला समझे। खम्हारडीह, धमनी, रामबोड ला गोद ले ले। इतना ही ला सुलझाए गांव वाले ला प्लांट लगे प्लांट ला कोई आपत्ति नहीं है। ये जन सुनवाई रखे हे एला जानथहव ओ। ये खम्हारीडीह के हव या धमनी से आये हव। धमनी मन के आदमी मन कहत हे मोर समर्थन है। पहली से बैठक हो गये रहिसक्या। नई हमन के भी समर्थन हवय पर हमन ला मालूम नहीं रहिस हे। पूरा बात ला समझना चाहिए भाई मन हम मन समर्थन नहीं देना चाह रहे है क्या देब गां हम मन के समर्थन, चारो ओर से गाडी यही से गुजरही। धमनी बर अलग से रोड नई बन जाय। यही मन से गाडी गुजरही। तुम मन ला गांव में धागा फैक्ट्री हे, पॉवर प्लांट हे, ये दे आउ प्लांट डले ही और चार ठोक आउ लगे। यही मन से जाही। हवा के रुख कब बदलते कोइला मालूम हे। तीन ठोक प्लांट लगे है। हमर गांव के यहीं पानी निस्तारित जाथे। आगे में नाला हे ओखर पानी यही मा आथे। डेम के नीचे वहीं दूषित पानी मा हमन नहाथन। बोले हा, नहीं बोले हवव। प्लांट चालू हो जाये। योग्यता अनुसार काम मिलही। मैं भी तो जेसीबी का आपरेटर हू। मै बोलयहू तो मिल जायही क्या। सब ला काम मिलना चाहिए। विरोध करथे उमन ला भी काम मिलना चाहिए। गांव के बस्ती के हाल ला पूछना चाहिए। प्लांट वाला मन ला कोई नही पूछते। इतना बडा गड्डा 2-3 कि०मी० तक प्लांट जाते है एक गाडी डस्ट गिरा दो साहब। पंचायत में बोलवाथन। हमर सरपंच हे मोर सम्मति हे। कुछ दू चार शब्द बोलते गांव के सरपंच हस। दू-चार बात बोलते तो हमन सुनथन। आम जनता के कतेक बात ला सुनही।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुंगेली तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 01:09 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुंगेली द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री वेद प्रकाश शर्मा, एनाकॉन लेबोरेटरीज, नागपुर, मेसर्स कुसुम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-धमनी, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग दोपहर 1:20 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुंगेली द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 07 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 26 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 66 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला-मुंगेली